

राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग
कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, ६सी झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: F.3(1) Legal/F&B/15/pt/ [371-140] दिनांक 18.11.15

कार्यालय आदेश

विषय : RajFAB application पर जनरेट होने वाली लिस्ट के अनुसार निरीक्षण किए जाने हेतु दिशानिर्देश

प्रसंग: आदेश सं. F3(1)Legal/F&B/15 दिनांक 27.10.2015

उपरोक्त प्रांतीक पत्र एवं विषयान्तर्गत सभी क्षेत्रिय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि —

1. RajFAB application पर जनरेट होने वाली लिस्ट के अनुसार मात्र उच्ची कारखानों का निरीक्षण किया जाये जिनके पूर्व निरीक्षण से अवधि आदेश सं. 1(55)L&E/78/ pt दिनांक 31.05.1995 के अनुरूप पूर्ण हो गई है।
2. आदेश सं. 1(55)L&E/78/ pt दिनांक 31.05.1995 में निरीक्षण हेतु उल्लेखित अवधि से पूर्व किसी कारखाने का Routine निरीक्षण ना करें।
3. यदि उक्त लिस्ट में कोई ऐसा कारखाना सूचीबद्ध हो जिसकी अंतिम निरीक्षण से अवधि आदेश सं. 1(55)L&E/78/ pt दिनांक 31.05.1995 के अनुरूप पूर्ण नहीं हुई हो तो—
 - a) ऐसे कारखाने की अंतिम निरीक्षण दिनांक का इन्ड्राज RajFAB application पर करें तथा
 - b) सम्बन्धित कार्यालय से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर अपलोड कर दी जावे।
4. किसी कारखाने में दुर्घटना घटित होने अथवा शिकायत की स्थिति में कार्यालय को पूर्व आवंटित क्षेत्राधिकार के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रिय निरीक्षक द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। तथा उक्त प्रकरणों में जांच पूर्ण होने तक सम्बन्धित क्षेत्रिय निरीक्षक द्वारा ऐसे कारखानों का consecutively निरीक्षण किया जा सकेगा।

(मुकेश जैन)
मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: F.3(1) Legal/F.8.01/15/pt.1/1371-1401

दिनांक 18.11.15

प्रतिलिपि:-

1. उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक / कारखाना एवं बायलर्स.....
2. सांख्यिकी शाखा को प्रेषित कर लेख है कि क्षेत्रिय अधिकारियों से प्राप्त मासिक रिटर्न में से कारखानों की अंतिम निरीक्षण तिथी का इन्द्राज कम्प्यूटर पर उपलब्ध कारखानों की सूची में 15 दिवस में कर अवगत करायें।

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
राजस्थान, जयपुर